न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 2/2021

वादीः—

1. चन्द्राराम (फौत) पुत्र लादूराम के कायममुकाम :—
   1/1 बुधाराम पुत्र स्व. चन्द्राराम, उम्र 60 वर्ष,
   2/1 चम्पालाल पुत्र स्व. चन्द्राराम, उम्र 57 वर्ष,
   3/1 रुकमीदेवी पुत्री स्व. चन्द्राराम, उम्र 56 वर्ष,
   जातियान— चौकीदार, निवासीगण— रामावास खुर्द तहसील—जैतारण जिला—पाली (राज.) जरिये आम मुख्तियार ओमप्रकाश पुत्र नारायण लाल, उम्र 24 वर्ष, जाति रेगर, निवासी—ग्राम लासनी तहसील जैतारण जिला पाली राज.

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम सिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

—:निर्णयः— दिनांक 8.5.2021

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी, हक हकूक, कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग एवं स्वामित्व की कृषिभूमि सरहद मौजा ग्राम सोमावास पटवार क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नंबर 24/124 में रकबा 26.00 बीघा किस्म बारानी दोयम की स्थित है। जो भूमि प्रार्थीगण के पिता (चन्द्राराम पुत्र लादूजी) द्वारा दिनांक 01/09/1978 को तत्कालिन खातेदार श्रीमति अमरकंवर पुत्री गंभीरमलजी पत्नि से गुलाबमलजी जाति ओसवाल भण्डारी निवासी कलकत्ता से बएवज मोल प्रतिफल रूपयें 2600/ में जरखदीसुदा है। जो बेचाणनामा उपपंजियक कार्यालय जैतारण में दिनांक 30.12.1978 को पंयिजन सुदा है। जिस भूमि पर वक्त खरीद से प्रार्थीगण के पिता का अधिकार, आधिपत्य, काश्त, उपयोग एवं उपभोग रहा। उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी पर कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग आज तक लगातार निंविवाद रूप से चला आ रहा है। आराजी पूर्व में दौलतमल पुत्र गणेशमल कौम महाजन के देहान्त के बाद उनके विधिक वारिसान विजयमल व गंभीरमल के नाम दर्ज रही। तत्पश्चात् गंभीरमल के देहान्त उपरान्त उक्त भूमि गंभीरमल के विधिक वारिसान महेन्द्र, अरूण, श्रीमति कमला व अमरकंवर के नाम से दर्ज रही है। पूर्व में उक्त अमरकंवर के हिस्से में खसरा नंबर 24 मीन रकबा 167—10 बीघा रही। जिसमें से अमरकंवर द्वारा प्रार्थीगण के पिता को जरिये पंजीबद्ध बेचाण 26 बीघा भूमि बेची गई। जिस बेचाण नामा अनुसार प्राथीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में 26 बीघा भूमि पर अमल दरामद किया एवं बाद अमल दरामद खसरा संख्या

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

24/124 दर्ज किये गये। जिसमें उक्त कृषि भूमि की प्रविष्टियाँ हेतु पासबुक तैयार की गई, म्यूटशन भरा गया एवं जमाबंदी में इन्दाज किया गया। प्रार्थीगण की उक्त जमीन पूर्व में खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के नाम दर्ज थी जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जैतारण में सिलिंग कानून (पुराना) के तहत प्रकरण संख्या 7/1969 दर्ज कर कार्यवाही अमल में ली गई। बाद कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने खातेदार दौलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए आदेश दिनांक 09.04.1971 के जरिये दौलतमल के विरूद्ध चल रहे उपरोक्त सिलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात् सिलिंग कानून (नया) के तहत भी उक्त दौलतमल पुत्र गणेशमल पुत्र गणेशमल के विरूद्ध सिलिंग कानून के तहत कार्यवाही अमल में ली गई। जिसमें भी दोलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए दिनांक 10.10.1975 को कार्यवाही ड्रोप कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक/ एफ 7(574) राज./सी/96 जयपुर दिनांक 05.11.1987 के तहत दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्ध पूर्व में निरस्तारित हुए उपरोक्त प्रकरणों को रिओपन करने का निर्णय पूर्व में निरस्तारित हुए उपरोक्त प्रकरणों को रिओपन करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को प्रेषित किये गये। जिस पर ए.डी.एम. सिलिंग, पाली के यहां प्रकरण संख्या 326/1994 वअनवान स्टेट बनाम दौलतमल विजयमल व अन्य दर्ज कर विचारण किया गया। जिसमें बाद ट्रायल श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर सिलिंग पाली ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.1996 के द्वारा खातेदार दौलतमल के पास कुल 284.5 स्टेण्डर्ड एकड भूमि होना माना एवं निर्धारित किया कि दोलतमल 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही धारित करने का अधिकारी है। फलस्वरूप शेष 254 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिगृहित करने का आदेश प्रदान किया गया।

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना में अप्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के अनुसार खातेदार दौलतमल के नाम दर्ज कृषिभूमि सहित प्रार्थीगण की खसरा नंबर 24/124 रकबा 26 बीघा कृषिभूमि को भी अधिगृहित करते हुए राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। श्रीमान जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25/07/1996 के विरूद्ध खातेदारो द्वारा माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर में अपीले संख्या 94/1998 व 95/1998 पेश की गई। माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त अपीलो को वाद सुनवाई स्वीकार किया एवम अपने निर्णय दिनांक 07.09.1998 के जरिये अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 को निरस्त करते हुए प्रकरणों को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया। माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 07.09.1998 की पालना में प्रकरण रिमाण्ड होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 145/2006 वअनवान स्टेट बनाम विजयमल दोलतमल रजिस्टर किया जाकर प्रकरणो को वाद सुनवाई पुनः निर्णित किया गया जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.07.2007 के तहत रेस्पोडेन्ट खातेदारों के पास सिलिंग सीमा से कम की आराजी होना मानते हुए सिलिंग प्रकरणों को समाप्त करने का आदेश प्रदान किया गया। रिमाण्ड ट्रायल के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर में सिलिंग अपील पेश की गई जो अपील संख्या 8589/2007 वअनवान राज. सरकार बनाम दोलतमल पुत्र गणेशमल (मृतक) जरिये वारिसान जं की गई। जिसमें बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 05.07.2017 को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील को खारिज किया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 20.07.2007 की पुष्टि की। माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय दिनांक 05.07.2017 एवम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 20.07.2007 के विरूद्ध अब कोई अपील या अन्य किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। फलस्वरूप उक्त दोनों निर्णय अंतिम निर्णय हो चुके है। उपरोक्त निर्णय अनुसार खातेदार दोलतमल पुत्र गणेशमल व अन्य के पास माननीय न्यायालयों द्वारा सिलिंग सीमा से कम आराजी मानते हुए सिलिंग प्रकरणों को समाप्त किया जा चुका है। जब मूल खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि धारित होने का निर्णय हो चुका है एवमं अब कोई शेष इस प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में म्यूटेशन संख्या 150 दिनांक 02.08.

अति. जिला कलक्टर (सिलिंग)
पाली (राज.)

1996 के जरिये दोलतमल सहित अन्य खातेदार/प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा संख्या 24/124 रकबा 26.00 बीघा जो अधिग्रहीत कर राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दी गई उसे पुनः प्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है।

प्रार्थीगण के पिता (चन्द्राराम पुत्र लादूजी) द्वारा तत्कालिन खातेदार श्रीमति अमरकंवर से जरखरीदसुदा उपरोक्त कृषिभूमि अब किसी भी रूप से सिलिंग प्रभावित नहीं है साथ ही उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण काश्त व कब्जारत है। प्रार्थीगण के पिता चन्द्राराम की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण ही चन्द्राराम के विधिक वारिसान मात्र है। फलस्वरूप राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र लादूराम जाति चौकीदार, निवासी रामावास खुर्द दर्ज किया जाना एवं तत्पश्चात् चन्द्राराम के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है धारा 144 सी.पी.सी. में प्रतिपादित कानून अनुसार किसी निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में किये गये बदलाव को ऐसे निर्णय के अपास्त हो जाने पर राजस्व रेकर्ड में निर्णय की पूर्व की स्थिति बहान किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। प्रार्थीगण अनपढ़ एवं ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकार है जो अनपढ़ व अशिक्षित है जिनको माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 05.07.2017 की जानकारी समय पर नहीं हुई। अब जानकारी होने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा सरहद मौजा ग्राम सोमावास पटवार क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण के खसरा नंबर 24/124 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.1996 के पूर्व की स्थिति बहान करते हुए प्रार्थीगण के पिता का नाम पूर्ववतः दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे एवं भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम भरे जाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस हेतू निवेदन किया गया।

4. जिस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. बहस के द्वौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी, हक हकूक, कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग एवं स्वामित्व की कृषिभूमि सरहद मौजा ग्राम सोमावास पटवार क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नंबर 24/124 में रकबा 26.00 बीघा किस्म बारानी दोयम की स्थित है। जो भूमि प्रार्थीगण के पिता (चन्द्राराम पुत्र लादूजी) द्वारा दिनांक 01/09/1978 को तत्कालिन खातेदार श्रीमति अमरकंवर पुत्री गंभीरमलजी पत्नि से गुलाबमलजी जाति ओसवाल भण्डारी निवासी कलकत्ता से बएवज मोल प्रतिफल रूपयें 2600/ में जरखदीसुदा है। जो बेचाणनामा उपपंजियक कार्यालय जैतारण में दिनांक 30.12.1978 को पंयिजन सुदा है। जिस भूमि पर वक्त खरीद से प्रार्थीगण के पिता का अधिकार, आधिपत्य, काश्त, उपयोग एवं उपभोग रहा। उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजी पर कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग आज तक लगातार निंविवाद रूप से चला आ रहा है। आराजी पूर्व में दौलतमल पुत्र गणेशमल कौम महाजन के देहान्त के बाद उनके विधिक वारिसान विजयमल व गंभीरमल के नाम दर्ज रही। तत्पश्चात् गंभीरमल के देहान्त उपरान्त उक्त भूमि गंभीरमल के विधिक वारिसान महेन्द्र, अरूण, श्रीमति कमला व अमरकंवर के नाम से दर्ज रही है। पूर्व में उक्त अमरकंवर के हिस्से में खसरा नंबर 24 मीन रकबा 167–10 बीघा रही। जिसमें से अमरकंवर द्वारा प्रार्थीगण के पिता को जरिये पंजीबद्ध बेचाण 26 बीघा भूमि बेची गई। जिस बेचाणनामा अनुसार प्राथीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में 26 बीघा भूमि पर अमल दरामद किया एवं बाद अमल दरामद खसरा संख्या 24/124 दर्ज किये गये। जिसमें उक्त कृषि भूमि की प्रविष्टियाँ हेतु पासबुक तैयार की गई, म्यूटेशन भरा गया एवं जमाबंदी में इन्द्राज किया गया। प्रार्थीगण की उक्त जमीन पूर्व में खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के नाम दर्ज थी जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जैतारण में सिलिंग

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

कानून (पुराना) के तहत प्रकरण संख्या 7/1969 दर्ज कर कार्यवाही अमल में ली गई। बाद कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने खातेदार दौलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए आदेश दिनाक 09.04.1971 के जरिये दौलतमल के विरूद्ध चल रहे उपरोक्त सिलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात् सिलिंग कानून (नया) के तहत भी उक्त दौलतमल पुत्र गणेशमल पुत्र गणेशमल के विरूद्ध सिलिंग कानून के तहत कार्यवाही अमल में ली गई। जिसमें भी दौलतमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए दिनांक 10.10.1975 को कार्यवाही ड्रोप कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक/एफ 7(574) राज./सी/96 जयपुर दिनांक 05.11.1987 के तहत दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्ध पूर्व में निरतारित हुए उपरोक्त प्रकरणों को रिओपन करने का निर्णय पूर्व में निरतारित हुए उपरोक्त प्रकरणों को रिओपन करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को प्रेषित किये गये। जिस पर ए.डी.एम. सिलिंग, पाली के यहां प्रकरण संख्या 326/1994 बअनवान स्टेट बनाम दौलतमल विजयमल व अन्य दर्ज कर विचारण किया गया। जिसमें बाद ट्रायल श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर सिलिंग पाली ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.1996 के द्वारा खातेदार दौलतमल के पास कुल 284.5 स्टेण्डर्ड एकड भूमि होना माना एवं निर्धारित किया कि दोलतमल 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही धारित करने का अधिकारी है। फलस्वरूप शेष 254 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिगृहित करने का आदेश प्रदान किया गया। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना मे अप्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के अनुसार खातेदार दौलतमल के नाम दर्ज कृषिभूमि सहित प्रार्थीगण की खसरा नंबर 24/124 रकबा 26 बीघा कृषिभूमि को भी अधिगृहित करते हुए राज्य सरकार के नाग दर्ज कर दी गई। श्रीमान जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25/07/1996 के विरूद्ध खातेदारो द्वारा माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर में अपीले संख्या 94/1998 व 95/1998 पेश की गई। माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त अपीलो को बाद सुनवाई स्वीकार किया एवम अपने निर्णय दिनांक 07.09.1998 के द्वारिये अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 को निरस्त करते हुए प्रकरणों को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया। माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 07.09.1998 की पालना में प्रकरण रिमाण्ड होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 145/2006 बअनवान स्टेट बनाम विजयमल दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरणो को बाद सुनवाई पुनः निर्णित किया गया। जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.07.2007 के तहत रेस्पोडेन्ट खातेदारों के पास सिलिंग सीमा से कम की आराजी होना मानते हुए सिलिंग प्रकरणों को समाप्त करने का आदेश प्रदान किया गया। रिमाण्ड ट्रायल के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2007 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर में सिलिंग अपील पेश की गई जो अपील संख्या 8589/2007 बअनवान राज. सरकार बनाम दोलतमल पुत्र गणेशमल (मृतक) जरिये वारिसान दर्ज की गई। जिसमें बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 05.07.2017 को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील को खारिज किया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 20.07.2007 की पुष्टि की। माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय दिनांक 05.07.2017 एवम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 20.07.2007 के विरूद्ध अब कोई अपील या अन्य किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। फलस्वरूप उक्त दोनों निर्णय अंतिम निर्णय हो चुके है। उपरोक्त निर्णय अनुसार खातेदार दोलतमल पुत्र गणेशमल व अन्य के पास माननीय न्यायालयों द्वारा सिलिंग सीमा से कम आराजी मानते हुए सिलिंग प्रकरणों को समाप्त किया जा चुका है। जब मूल खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि धारित होने का निर्णय हो चुका है एवमं अब कोई शेष इस प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में म्यूटेशन संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के जरिये दोलतमल सहित अन्य खातेदार/प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा संख्या 24/124 रकबा 26.00 बीघा जो अधिग्रहीत कर राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दी गई उसे पुनः प्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज किया जावें। प्रार्थीगण के पिता (चन्द्राराम पुत्र लादूजी) द्वारा तत्कालिन खातेदार श्रीमति अमरकंवर से

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

खरीदसुदा उपरोक्त कृषिभूमि अब किसी भी रूप से सिलिंग प्रभावित नहीं है साथ ही उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण काश्त व कब्जारत है। प्रार्थीगण के पिता चन्द्राराम की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण ही चन्द्राराम के विधिक वारिसान मात्र है। फलस्वरूप राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र लादूराम जाति चौकीदार, निवासी रामावास खुर्द दर्ज किया जाना एवं तत्पश्चात् चन्द्राराम के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है धारा 144 सी.पी.सी. में प्रतिपादित कानून अनुसार किसी निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में किये गये बदलाव को ऐसे निर्णय के अपास्त हो जाने पर राजस्व रेकर्ड में निर्णय की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। प्रार्थीगण अनपढ़ एवं ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकार है जो अनपढ़ व अशिक्षित है जिनको माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 05.07.2017 की जानकारी समय पर नहीं हुई। अब जानकारी होने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा सरहद मौजा ग्राम सोमावास पटवार क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण के खसरा नंबर 24/124 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.1996 के पूर्व की स्थिति बहान करते हुए प्रार्थीगण के पिता का नाम पूर्ववतः दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे एवं भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम भरे जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में जाहिर किया कि प्रार्थीगण उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। विधिक रूप से वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही के प्रकरणों में पक्षकार रहा है। इस कारण से आवेदन विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खरीद करना बताया जा रहा है। उक्त विक्रय पत्र को विधिक रूप से मान्यता दिये जाने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, इसलिए आवेदन खारिज योग्य है।

7. दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वर्णित सीलिंग कार्यवाही सरकार और दौलतमल के बीच में चली थी, जिसमें अलग अलग समय से अलग अलग निर्णय पारित किये गये। उपरोक्त सिलिंग कार्यवाही में उक्त प्रकरण में वर्णित विक्रय पत्र को मान्यता दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से पत्रावली में पेश नहीं किया गया है, साथ ही उपरोक्त सिलिंग कार्यवाही में प्रार्थी किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे हैं। विधिक रूप से धारा 144 के तहत् आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है, जो उस कार्यवाही एवं मुकदमें में पक्षकार रहा हो। इस कारण से उपरोक्त प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और आवेदन खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 8.4.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)